

न्यायालय क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 30/2024 / सरफैसी

फिनकेयर स्मॉल पाइनेस बैंक लिमिटेड (पूर्व में दिशा माइक्रोफिन लिमिटेड के नाम से
ज्ञात), रजिस्टर्ड कार्यालय 301-306 3rd फ्लोर, अभिजीत V, अपोजिट मेयर बंग्लो लॉ
गार्डन रोड, मीठाखली, अहमदाबाद- 380006 गुजरात एवं कार्यालय - ग्राउंड फ्लोर,
शॉप नं. 2 एवं 3, ए- 235 गुरु जम्भुशवर नगर, गांधी पथ, कवीन्स रोड जयपुर-
302021, राजस्थान

.....प्रार्थी


बनाम

1. मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामरतन मीणा पता-ग्राम -जसपुरा, पोस्ट-गुपडी,
तह-वल्लभनगर जिला उदयपुर, राजस्थान-313022
2. कविता देवी पत्नी मुकेश कुमार मीणा पता-ग्राम -जसपुरा, पोस्ट-गुपडी,
तह-वल्लभनगर जिला उदयपुर, राजस्थान-313022

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित: श्री चेतन मेनारिया अधिवक्ता प्रार्थी



आदेश

दिनांक 05-03-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की
प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध
अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा
अप्रार्थीगण को राशि 16,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा
पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (वाके प्लॉट नम्बर-2, राधे विहार, ग्राम
हरियाव, ग्राम पंचायत गुपडी, तहसील वल्लभनगर खसरा नम्बर-5 व 6, जिला
उदयपुर राजस्थान-313022 (मुकेश कुमार मीणा पुत्र राम रतन मीणा) कुलिया क्षेत्रफल
1150 वर्ग फीट व प्लॉट नम्बर-3, राधे विहार, ग्राम हरियाव, ग्राम पंचायत गुपडी,
तहसील वल्लभनगर खसरा नम्बर-5 व 6, जिला उदयपुर राजस्थान-313022 (मुकेश
कुमार मीणा पुत्र राम रतन मीणा) कुलिया क्षेत्रफल 1150 वर्ग फीट) को प्रार्थी
बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप
से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा
ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत
अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्रप्ति/सूचना के पश्चात्
श्री अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक 15,96,432/-

M
जिला क्लर्क
उदयपुर

रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 16,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.12.2022 तक 15,96,432/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (वाके प्लॉट नम्बर-2, राधे विहार, ग्राम हरियाव, ग्राम पंचायत गुपडी, तहसील वल्लभनगर, खसरा नम्बर-5 व 6, जिला उदयपुर राजस्थान-313022 (मुकेश कुमार मीणा पुत्र राम रतन मीणा) कुलिया क्षेत्रफल 1150 वर्ग फीट व प्लॉट नम्बर-3, राधे विहार, ग्राम हरियाव, ग्राम पंचायत गुपडी, तहसील वल्लभनगर खसरा नम्बर-5 व 6, जिला उदयपुर राजस्थान-313022 (मुकेश कुमार मीणा पुत्र राम रतन मीणा) कुलिया क्षेत्रफल 1150 वर्ग फीट) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



M
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर